# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 255/12 निर्णय दिनांक :– 3/6/2019

प्रेमचंद

---वादी---

**बनाम**

शांति देवी वगैरा

---प्रतिवादीगण---

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0</u>

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त दावा वादी द्वारा बाबत घोषणा, दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 मुख्यतः दावे के मद संख्या 4 एवं मद संख्या 5 में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 1.49 है0 वादी के पिता स्व0 श्री लक्ष्मीनारायणजी द्वारा खरीद की गई थी परंत श्योप्रताप ने आराजी के विकयपत्र में अपना नाम नुमाईशी रूप से अंकित करवा लिया तथा जमीन नुमाईशी रूप से अपने नाम लगवा ली जबकि श्योप्रताप ने उक्त आरी की खरीद में रूपया खर्च नही किया। स्व0 श्री लक्ष्मीनारायणजी अपने बडे पुत्र श्योप्रताप पर भरोसा व विश्वास करते थे और इस विश्वास तथा भरोसे का फायदा उठाकर स्व0 श्री लक्ष्मीनारायणजी द्वारा क्रय की गई आराजी में श्योप्रतापजी ने भी अपना नाम इन्द्राज करवा दिया जो कि वादी के अधिकारों के मुकाबले अवैध व [illegible] से प्रभावहीन है। वादी द्वारा वाद पत्र के मद संख्या 5 में [illegible] कि श्योप्रतापजी की मृत्यू उपरांत वादी एवं प्रतिवादी[illegible] के मध्य पारिवारिक समझौता [illegible] और पारिवारिक समझौते के अनुसरण में दिनांक 15.02.1994 को प्रतिज्ञापत्र [illegible]दित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया गया। उक्त प्रतिज्ञापत्र में इस आशय की स्वीकारोक्ति की गई है कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के दादा स्व0 श्री लक्ष्मीनारायणजी द्वारा क्रय की गई है इत्यादि। दावे में उपरोक्त अभिकथनों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्टतः साबित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त दावा विक्रयपत्र को अवैध, शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि किसी भी दस्तावेज को अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार केवलमात्र दीवनी न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसको तथा कथित प्रतिज्ञापत्र दिनांक 15.02.1994 के विरूद्ध न तो अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जा सकता है ना ही विक्रय पत्र के विरूद्ध पढा व समझा जा सकता है, ना ही विक्रय पत्र के विरूद्ध में साक्ष्य ग्राहय है। दावे के अभिकथनो से स्पष्ट है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 (घ) के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। उपरोक्त दावा बराय बदनियति दीवानी न्यायालय के समक्ष देय न्याय शूल्क बचाने की गरज से किया गया है। अतः दावा काबिले खारिज है।

प्रार्थना पत्र शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दिनांक 31.08.2015 को दिये जाने पर भी दिनांक 06.06.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य रिकार्ड से संबंधित होने से जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य रिकार्ड से संबंधित होने से एवं वाद पत्र के अभिवचनों से संबंधित होने से जवाब अपेक्षित नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है वादी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है तथा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन एव स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा इस मद में वर्णित विक्रय पत्र बाबत किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जो कि स्वयं वादी द्वारा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये है गलत होने से अस्वीकार है इस मद में वर्णित कानूनी प्रावधान से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

नही है तथापि प्रतिवादी द्वारा इस मद में कई पर भी अंकित नही किया गया है कि वादी का वाद किसी प्रकार खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है बल्कि सही तथ्य यह है कि वादी द्वारा उक्त वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के आधार पर न्याया शूल्क अदाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि किसी प्रकार से खारिज किये जाने योग्य नही है।

## विशेष विवरण

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के स्कोप से बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष केवल मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही अदा किया जा सकता है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी अंकित नही किया गया है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत किसी प्रकार पोषणीय नही है ऐसी स्थिति में वेग अभिवचनों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नही किया गया है जिससे वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 की स्टेज पर ही निस्तारित कर दिया जावें। इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में क्षेत्राधिकार एवं न्याय शुल्क के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि क्षेत्राधिकारिता एवं न्याय शुल्क के बाबत तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात पक्षकरान की साक्ष्य के पश्चात ही तय किया जा सकता है चूंकि उक्त बिन्दु विधिक तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो कि साक्ष्य के द्वारा ही तय किया जा सकता है इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अपने जवाब दावे में ले सकता है तथा उसके पश्चात् तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत तनकीयात कायम किया जाकर साक्ष्य के पश्चात निस्तारण किया जा सकता है। इस इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण के समय केवल मात्र वाद पत्र के अभिवचनों को देखा जाना होता है तथा इस स्तर पर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु असंगत होते है तथा जवाब दावे के बिना प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी इस स्तर पर नही देखे जा सकते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु जवाब दावे से संबंधित बिन्दु है इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण का डिले करने की बदनियती से प्रस्तुत किया गया है जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने से भी होती है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर्जा विशेष खारिज फरमाया जाने की कृपा करे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादी द्वारा दावे में विक्रय पत्र को अवैध व शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने का राजस्व न्यायालय में पेश किया गया है जबकि किसी भी दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है, विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 15.02.1994 के विरूद्ध ना तो अवैध एवं प्रभावहीन घोषित कियाा जा सकता ना ही विक्रय पत्र के विरूद्ध पढा व समझा जा सकता ना ही विक्रय पत्र के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्मय है। दावा न्याय शुल्क बचाने की गरज से किया गया है जो काबिले खारिज है। दावा आदेश 7 नियम 11 (घ) के प्रावधानों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है जो खारिज फरमाया जावे। जवाब बहस में वादी वकील ने प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त करने का नही किया है अनुतोष में केवल खातेदारी की घोषणा मांगी गयी है, वादी द्वारा दावा प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर किया गया है। प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर कार्यवाही नही होने पर दावा पेश किया गया है। दावे की समस्त कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर तय होनी है दावा करने का आधार परिवारिक समझौता पत्र है वादग्रस्त भूमि में मेरा 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नही किया जिससे वादी का वाद 7 नियम 11 की स्टेज पर ही निस्तारित कर दिया जावे। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया, जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लिया जाकर दावा गुणा व गुण [illegible] पर निस्तारित किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] करने की गरज से पेश किया [illegible] खारिज है जिसे खारिज फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की बहस पर [illegible]न किया व प्रार्थना पत्र जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash000000000000000
Date: 2021.01.18 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 1.49 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 54 वाके ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा मे स्थित है जो लक्ष्मीनारायण वादी के पिता द्वारा क्रय की गई है। वादग्रस्त आराजी के विक्रय पत्र में स्वयं का नाम विक्रय पत्र में इन्द्राज करवा लिया जबकि उक्त क्रय की गई भूमि में सम्पूर्ण धन वादी के पिता द्वारा वहन किया गया । इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण जी व श्योप्रताप जी ने संयुक्त रूप से क्रय की गयी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गयी भूमि बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना पारिवारिक समझौता पत्र (प्रतिज्ञा – पत्र) के आधार दावा वादी चलने योग्य नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार उक्त वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जाकर प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर घोषणा चाही गयी है जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद सुनने का अधिकार नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार होने से दावा वादी खारीज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested